न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 06 / 2012 (RCMS No. 2012/00071)

प्रार्थी

1. नारायणराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट फौत
   1/1– बरजीदेवी बेवा नारायणराम जाति जाट फौत
   1/2– तुलसीराम पुत्र नारायणराम जाति जाट
   1/3– सन्तोषदेवी बेवा औमप्रकाश पुत्र वधू
   1/4– महराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट पौत्र
   1/5– बलराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट पौत्र
   1/6– सरोज पुत्री औमप्रकाश जाति जाट पौत्र
   1/7– पुजा पुत्री औमप्रकाश जाति जाट पौत्री जाति जाट नाबालिग वादी संख्या 1/4 से 1/7 जरिये कुदरती वली माता सन्तोषदेवी निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मीरा देवी पत्नि कुनणाराम जाति जाट निवासी जसराणा तह. कुचामनसिटी
   1/1– महेन्द्र कुमार पुत्र जोधाराम जाति जाट निवाासी जसराणा
   1/2– कानसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत नि. जूसरी तह. मकराना
2. मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी चारणवास तह. कुचामनसिटी
3. सन्तोषदेवी पत्नि नरेश जाति जाट निवासी चारणवास तह. कुचामनसिटी
4. नर्बदा देवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी टोडास तह. नांवा
5. सुवालाल पुत्र नानकराम चौधरी जाति जाट निवासी मौखमपुरा जिला जयपुर
6. सुरेश शर्मा पुत्र नटवरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुचामनसिटी
7. छोटी देवी पत्नि चन्द्राराम जाति जाट निवासी नंगवाड़ा तह. नावां
8. सीताराम पुत्र रामनारायण उपाध्याय जाति ब्राहम्ण नि. फोगड़ी तह.डीडवाना
9. कुसुम पत्नि वासुदेव लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी
10. श्रीमति वर्षा पत्नि अश्विनी लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी
11. किशनलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी मकराना तह. मकराना
12. राधादेवी पत्नि किशनलाल जाति माली निवासी मकराना तह. मकराना
13. नागुराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना तह. मकराना
14. गजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी मकराना तह. मकराना
15. उप पंजीयक कुचामनसिटी
16. अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी
17. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 8 व 9 की ओर से।
श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11 से 14 की ओर से

......2....

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

दिनॉक :– 30.8.18

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद संख्या 10/2012 इसी अनुवान का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमे सफलता मिलने की पुरी–पुरी सम्भावना है ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 94 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 249 रकबा 1.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 2536/251 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 1.20 हैक्टर जुमले रकबा 3.21 हैक्टर स्थित रही है तथा गत खसरा नम्बर 98 के नवीन खसरा नम्बर 2537/288 रकबा 0.83 हैक्टर भूमि स्थित रही है जो एक ही चक के प्रार्थीगण के कब्जा व खातेदारी की रही है। उपरोक्त गत खसरा नम्बर 94 के पूर्वी तरफ गत खसरा नम्बर 98 की भूमि स्थित रही है गत खसरा नम्बर 98 में (खसरा नम्बर 94 से पूर्वी तरफ) 50 बीघा भूमि व सम्वत 2042–45 चौसाला खतौनी में खातेदार श्रीमति शरीफन जोजे भंवरखॉ 1/2 नूर मोहम्मद व शेर मोहम्मद, युनुस खॉ, रूस्तम खॉ पुत्र भंवर खॉ जाति कायमखानी निवासी खारिया तहसील डीडवाना के खातेदारी में रहा है, उपरोक्त गत खसरा नम्बर 98 की 50 बीघा भूमि के नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन खसरा नम्बर 285 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 286 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नम्बर 287 रकबा 8.09 हैक्टर जुमले रकबा 8.34 हैक्ट र अंकित कर दिया गया जो कतई गलत व बिना क्षेत्राधिकार का अंकन होने से स्वतः अवैध है जबकि 50 बीघा का 8.10 हैक्टर रकबा ही दर्ज होना चाहिए था, उपरोक्त नवीन खसरा नम्बर 285 286 287 के बाद में खातेदार प्रतिवादी किशनलाल पुत्र कानाराम राधादेवी पत्नि किशनलाल माली मकराना व नागूराम गजेन्द्र पुत्र किशनाराम माली निवासी मकराना के नाम अंकित हुई, जबकि ये भी 8.10 हैक्टर के खातेदार दर्ज होने चाहिए थे, नवीन खसरा नम्बर 249, 2531/251, 2537/288, 2537/288 प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी का है खसरा नम्बर 249 2531/251,2537/288,288, 2537/288 के पूर्वी तरफ नये खसरा नम्बर 287 की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित है, प्रार्थी नये खसरा नम्बर 2531/251, 2537/288, 288, 249 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे की कुछ अर्थात 0.02 व खसरा नम्बर 287 के कुछ नवीन मेगा हाईवे के सड़क मार्ग में अवाप्त की हो गई, इस सड़क मार्ग में अवाप्त शुद्वा के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बर 3837/2536 सड़क मार्ग के खसरा नम्बर 287 में सड़क से अवाप्त शुद्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 3137/287 रकबा 1.50 हैक्टर अंकित हुए है प्रार्थीगण अवाप्त शुद्वा भूमि के खसरा नम्बर 3138[illegible] व 3139/2537 अंकित हुए है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 25[illegible]7/288,24[illegible]88,[illegible]7/1 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 289 की पश्चिमी सीमा बि[illegible]ण लम्बाई में नक्शा ट्रेस में अंकित है, मेगा हाईवे निकल जाने [illegible] प्रार्थी के कब्जा शुद्वा खतौनी के खसरा नम्बर 2537/3751 की शेष भूमि [illegible] खसरा नम्बर 299 की भूमि खसरा नम्बर 288 की भूमि व खसरा नम्बर 2537/288 की भूमि मेगा हाईवे सड़क मार्ग के लगती पश्चिमी तरफ है तथा सड़क मार्ग के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 287 की भूमि शेष रही है इस सड़क मार्ग से पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 287

......3....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested

की कोई भूमि या भूखण्ड शेष नही बची है सड़क मार्ग से पश्चिमी व अवाप्त शुद्वा भूमि 3136/2536, 3139/2537 के नवीन की खसरा नम्बर 243, 288 की भूमि प्रार्थी के कब्जा व अधिकार में है, अप्रार्थीगण किसीक भी सड़क मार्ग से पश्चिमी तरफ कोई भूमि नही है लेकिन गत खसरा नम्बर 914 की नवीन खसरा नम्बर 249 288 की भूमि पर अब अप्रार्थीगण 1, 2, 3 की तरफ से जबरन कब्जा करने की धमकिया दो दिन से प्रार्थीगण को दी जाने लगी है, सड़क मार्ग से पश्चिम तरफ की भूमि जो प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है, में किसी प्रकार के अधिकार अप्रार्थीगण को नही है, अप्रार्थीगण ताकत के बल पर रातो रात निर्माण करने पर आमदा है अगर वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी के जायज अधिकारो पर कुठाराघात होगा, प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि का सड़क मार्ग अवरूद्व हो जावेगा तो प्रार्थी की भूमि की उपयोगिता सदैव के लिए नष्ट हो जावेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा प्रार्थी को खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात होगा अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमया जावे,नवीन मेगा हाईवे की अवाप्ति के बाद भी राजस्व नक्शा में इसका इन्द्राज अभी तक नही हो पाया है जिसे इन्द्राज करने का राजस्व अधिकारियो का परम कर्तव्य होता है,राजस्व अधिकारियो की भूल का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जा की खसरा नम्बर 288 244 की भूमि को अप्रार्थीगण जबरन हथियाने के प्रयास में है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण को बेदखल किया जावेगा तो अपूर्णीनय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2536/251 249 288 2537/288 कुल रकबा 4.03 हैक्टर भूमि जो मेगा हाईवे एक मार्ग से पश्चिमी तरफ स्थित है में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, नही भूमि का स्वरूप बदले तथा सड़क से पश्चिमी तरफ की भूमि जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उसके किसी भाग का बेचान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 नही करे, इस भू–भाग का संपरिवर्तन नही करे तथा अप्रार्थीगण सं.1, 2, 3 द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी सं. 15 पंजियन स्वीकार नही करे तथा अप्रार्थी सं. 16 17 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी फरमाव।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी संख्या 8, 9, 11, 12, 13, 14 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, पर्याप्त अवसर देने पर भी जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 7, 15 से 17 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 को प्रार्थी के आवेदन पर जोड़ा जाकर पक्षकारा संयोजित किया गया, जिन्होने जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या तथा बनावटी प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

किये गये है उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है गत खसरा नम्बर 94 98 की भूमि कभी भी एक चक में नही रही है, खसरा नम्बर 287 285 286 मिलान क्षेत्रफल अनुसार बिल्कुल सत्य है खसरा नम्बर 285 286 287 कुल रकबा 8.34 हैक्टर सही है तथा अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने सावधानी वश राजस्व अभिलेख का अवलोकर करके खसरा नम्बर 287 रकबा 8.09 हैक्टर के 1/2 भाग की कृषि भूमि 4.045 हैक्टर के सक्षम वैध काबिज खातेदार अभिधारी किशनलाल व राधादेवी प्रचलित बाजार दर 480000/– अदाकर विधिवत रूप से पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये 6335.91 वर्ग फीट भूमि क्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है अप्रार्थी सं. 1 के हक में जरिये नामा. खसरा नम्बर 287 मे से 588 वगै मीटर भूमि की खातेदारी दर्ज हुई है,जिस पर वह निरन्तर काबिज चली आ रही है,खसरा नम्बर 285 286 287 कुल रकबा 8.34 हैक्टर रेकार्डडेड खातेदारी अभिधारी किशनाराम राधादेवी नागुराम गजेन्द्र के हक में भू–राजस्व अधिकार अभिलेख में रकबा 8.34 हैक्टर सही दुरूस्त प्रविष्टि अंकित है इसी रकबा अनुसार उक्त खातेदार की हैसियत से काबिज भी रही है, गत 20 वर्षो में प्रार्थीगण ने कभी कोई आपत्ति दर्ज नही कराई है,खसरा नम्बर 287 में भूमि मेघा हाईवे में अवाप्त की गई शेष कितनी भूमि बची यह सभी तथ्य मौके की भौतिक स्थिति एवं भू–राजस्व अभिलख से प्रमाणित किये जाने योग्य है, खसरा नम्बर 287 मे से क्षेत्रफल 6335.91 वर्गफीट कृषि भूमि पर रेकर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज है जो खसरा नम्बर 3137/287 किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के पश्चिमी सींव के समीप स्थित पक्की दीवार व ठाव व खुली भूमि के रूप में आज दिन मौजूद है खसरा नम्बर 2531/38 2536 3139/2537 के एवं मेगा हाईवे की बीच में खसरा नम्बर 287 मे सें अप्रार्थी संख्या 1 की 588.53 हैक्टर भूमि कृषि भूमि का हिस्सा आया हुआ है जिसे अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने अप्रार्थी सं. 11 12 से पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद की है और राजस्व रेकर्ड में बहैसियत काबिज खातेदार अप्रार्थी उत्तरकर्ता का अंकन मौजूद है जिस पर प्रार्थी स्वंय ओर उसके परिवारजन का कब्जा काश्त मौजूद है फलतः प्रार्थनी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है।

दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी नकले, नक्शा ट्रेस की प्रति, बेचान दस्तावेज इत्यादि की प्रति प्रस्तुत हुई। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 98 एवं 94 से सम्बन्धित है जिसका वक्ट सेटलमेन्ट रकबा बढ़ा दिया गया जिसका [illegible] संख्या 1 द्वारा गलत तरीके से फायदा उठाकर भूमि अन्य व्यक्तियो को हिस्सा बेचान कर दिया तथ अब और भूमि बेचान करने [illegible] वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के समस्त बिन्दू वाद पत्र में तय होने है जब तक मौके पर किसी प्रकार का [illegible] शान्ति भंग नही हो तथा पक्षकारान के मध्य ओर विवाद उत्पन्न नही हो, इसलिए प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में ताफैसला वाद आदेश पारित किया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पक्ष में साबित होना पाये गये। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2536/251, 249, 288, 2537/288 भूमि जो मेगा हाईवे एक मार्ग से पश्चिमी तरफ स्थित है में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण 1,1/1, 1/2, 2 ता 3 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करे, नही भूमि का स्वरूप बदले तथा सड़क से पश्चिमी तरफ की भूमि जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त अनुसार अप्रार्थीगण 1,1/1, 1/2, 2 ता 3 को ता फैसला वाद पाबंद किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में बेचान एवं रेकार्ड की यथास्थित हटाई जाती है।

आदेश आज दिनॉक 30/8/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested